न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–त्रिलोक चन्द मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 02/2019
तारीख दायर : 09.01.2019

अनवान

1. भैरूसिंह पिता सोदानसिंह जाति राजपूत निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थी

बनाम

1. जसवन्तसिंह पिता जोरावरसिंह जाति राजपूत निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
2. देबीसिंह पिता जोरावरसिंह जाति राजपूत निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
3. कानसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
4. नन्दूबाई पत्नि नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी जोजवा त तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
5. लक्ष्मणसिंह पिता भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
6. ज्वालासिंह पिता भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
7. महेन्द्रसिंह पिता जयसिंह जाति राजपूत निवासी जोजवा तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।
8. तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

––अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री सांवरमल रेबारी (अधिवक्ता प्रार्थी)
2. अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।
3. अप्रार्थी संख्या 8 तहसीलदार माण्डलगढ़ की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित।

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

निर्णय दिनांक : 27.02.2020

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी के खातेदारी की ग्राम जोजवा पटवार हल्का जोजवा स्थित भूमि आराजी संख्या 39, 40, 41 किता 3 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा व आराजी संख्या 2080/41 गैर मुमकिन आ0चा0 कृषि भूमि स्थित पर सजबेल ट्रैक्टर आदी लाने ले जाने का एक मात्र रास्ता ग्राम जोजवा से रिकॉर्डेड रास्ता से होते हुए दक्षिणी दिशा से उत्तर दिशा में स्थित आराजी संख्या 55 में से होकर आराजी संख्या 2080/38 के दक्षिणी मेर पर होकर प्रार्थी की आराजी संख्या 39 में पहुँचता है। उक्त आराजी संख्या 39 से होते हुये प्रार्थी उसके शामलाती हक हिस्से में दर्ज रिकॉर्ड आ0चा0 संख्या 2080/41 पर पहुँचता है। जो कि प्रार्थी के खाते में दर्ज रिकॉर्ड है। इसके अलावा प्रार्थी की आराजियात पर अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी निरन्तर 50–60 साल से पीढ़ी दर पीढ़ी सजबेल आदी ले

जाते चले आ रहे है। उक्त रास्ता 20 फीट चौड़ा है, किन्तु उक्त रास्ते को विपक्षीगण ने बन्द कर दिया जिससे प्रार्थी अपने खेत कुएँ पर जाने से महरूम हो गये इसलिए उक्त रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कराया जाना प्रार्थी को आवश्यक हो गया है क्योकि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता नहीं है। यदि उक्त रास्ता विपक्षीगण ने नहीं दिया तो प्रार्थी उक्त भूमि में काश्त नही कर सकेगा जिससे प्रार्थी के परिवार के भूखे मरने की नौबत पैदा हो जायेगी। प्रार्थी रास्ते में आयी हुई भूमि का डी.एल.सी. राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थी व विपक्षीगण के खाते की नकले व नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। प्रस्तावित रास्ते को नक्शे में दर्शाया गया है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जावें प्रार्थी डी.एल.सी. राशि जमा कराने को तैयार है।

बाद जांच प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र भेज कर तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2, 4, 5 के बावजूद पूर्व सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहने से दिनांक 03.07.2019 को विपक्षी संख्या 2, 4, 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। विपक्षी संख्या 1, 3, 6 व 7 के बावजूद पूर्व सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहने से दिनांक 19.12.2019 को विपक्षी संख्या 1, 3, 6 व 7 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

दिनांक 09.01.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उक्त रिपोर्ट में तहसीलदार माण्डलगढ द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए राजस्व रिकॉर्ड में अन्य कोई रास्ता नहीं है। चाहे गये रास्ते की दक्षिणी मेड पर मौके पर आवासीय मकान का निर्माण होने से उक्त निर्माण को छोड़ते हुए रास्ता प्रस्तावित किया है। प्रार्थी की आराजी पर पहुँचने के लिए उनके द्वारा मांगा गया रास्ता लघुतम नहीं है। विपक्षी की खाते की 0.13 बीघा भूमि रास्ते के उपयोग हेतु प्रार्थी की मांग के अनुसार रास्ते हेतु उपयोग में ली जावेगी। रास्ते हेतु 0.13 बीघा भूमि का उपयोग होगा जिसकी डी.एल.सी. रेट 136204 रू. प्रति बीघा से 88533 बनती है। दुगुनी दर 177066/– रूपये है। भू–अभिलेख निरीक्षक बरूंदनी द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया गया कि उक्त रास्ता लघुतम नहीं है, परन्तु वादीगण हमेशा से ही इसी रास्ते का उपयोग व उपभोग करते आ रहे है तथा मौके पर रास्ता मौजूद है जो आगे भी अन्य खातेदार इसी रास्ते का उपयोग करते आ रहे होने से इसी जगह पर रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। उक्त रास्ते के उपयोग में आने से अप्रार्थी के खाते की आराजी संख्या 55 में से 0.09 बीघा व आराजी संख्या 208/38 रकबा 0.04 कुल 0.13 बीघा रास्ते के उपयोग में आयेगी।

दिनांक 27.02.2020 को पत्रावली बहस हेतु प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार माण्डलगढ़ की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत चाहा गया रास्ता जो कि आराजी संख्या 55 से होकर आराजी संख्या 2080/38 से गुजरता हुआ प्रार्थीगण की खातेदारी में पहुँचता है। उक्त दोनों आराजी नम्बर अप्रार्थीगण की खातेदारी में स्थित है। उक्त रास्ता प्रार्थी की खातेदारी आराजी संख्या 39 में जाने का एकमात्र रास्ता है। अतः उक्त रास्ता को राजकीय रास्ता दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। प्रार्थी डी0एल0सी0 दर के अनुसार बनने वाली राशि जमा करवाने हेतु सहमत है। तहसीलदार माण्डलगढ़ की ओर से पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि उक्त रास्ता प्रार्थी की भूमि में पहुँचने का एकमात्र रास्ता है। यदि उक्त रास्ते का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाता है तो राजकीय हित प्रभावित नहीं होते है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों यथा जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 ग्राम जोजवा पटवार मण्डल जोजवा तहसील माण्डलगढ़, नक्शा ट्रेस तहसील माण्डलगढ़ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक/कोर्ट/2020/4 दिनांक 01.01.2020 का अवलोकन किया। तहसीलदार माण्डलगढ़ की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आराजी संख्या 144 गै0मू0 रास्ता से आराजी संख्या 55 की पश्चिमी मेड पर होते हुए आराजी संख्या 208/38 की दक्षिणी मेड़ पर मौके पर आवासीय मकान का निर्माण होने से उक्त निर्माण को छोडते हुए निर्माण के उत्तरी भाग व शेष आराजी संख्या 208/38 के दक्षिणी भाग पर से रास्ता दिया जाना उचित है एवं प्रार्थीगण हमेशा से ही इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा मौके पर रास्ता मौजूद है जो आगे भी अन्य खातेदार इसी रास्ते का उपयोग करते आ रहे होने से इसी जगह पर रास्ता दिया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा चाहे गए उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। अतः प्रथमदृष्टया प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को कृषि भूमि ग्राम जोजवा पटवार मण्डल जोजवा तहसील माण्डलगढ़ के आराजी संख्या 39, 40 व 41 पर पहुँचने के लिए एवं सजबैल, ट्रैक्टर आदि लाने ले जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 55 में से 0.09 बीघा व आराजी संख्या 2081/38 में से 0.04 बीघा कुल 0.13 बीघा भूमि रास्ते हेतु 251 (क) में राजस्थान सरकार की संशोधित अधिसूचना नम्बर F3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70(1) (।।)(a) के अनुसार 136204/– रूपये प्रति बीघा डी0एल0सी0 की दर से भूमि 0.13 बिस्वा के 88533/– रूपये की दुगुनी राशि 177066/– रूपये राजकोष में मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा में जमा करवाने पर गैर मू. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक आम रास्ता रहेगा।

आदेश आज दिनांक 27.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

(त्रिलोक चन्द मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Trilok Chand Meena
Date: 2020.02.28 18:06:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: